



पत्रांक : 8197 / प०नि०का० / 2025

दिनांक : 14 / 05 / 2025

सूचना

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 08.05.2025 द्वारा निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया :-

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर और सम्बद्ध महाविद्यालयों के अप्रायोगिक विषयों के संस्थागत और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की मौखिकी परीक्षा और शोध परियोजना के मूल्यांकन की व्यवस्था निम्नलिखित शर्तों के साथ आंतरिक व्यवस्था द्वारा करायी जाएगी -

1-यदि किसी परीक्षार्थी को शोध परियोजना या मौखिकी परीक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो उसके संदर्भ में सम्बन्धित आंतरिक परीक्षक को आख्या प्रस्तुत करनी होगी, जिससे उसे दिए गए अंकों का औचित्य सिद्ध हो सके।

2-यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर 50% से अधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त होते हैं, तो 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे परीक्षार्थियों की पुनर्परीक्षा विश्वविद्यालय केन्द्र पर पुनः करायी जा सकती है।

परीक्षा समिति के निर्णयानुसार उक्त व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है।


परीक्षा नियंत्रक
14/05/2025

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, राजकीय अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महा०, सम्बद्ध दी०द०उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर।
2. समस्त संकायाध्यक्ष एवं विभागाध्यक्ष।
3. प्रभारी सचिव कुलपति, मा० कुलपति जी के संज्ञानार्थ।
4. वै०स०, कुलसचिव।
5. निदेशक, आई०टी०सी० सेल, दी०द०उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर
6. प्रभारी, एजेन्सी, कोडिंग-डिकोडिंग।
7. उप कुलसचिव (परीक्षा)/सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/कार्यालय अधीक्षक, परीक्षा सामान्य/परीक्षा गोपनीय दी०द०उ० गो०वि०वि०, गोरखपुर
8. सम्बन्धित पटल सहायक।


परीक्षा नियंत्रक
14/05/2025